>12.02 hrs.

Prevention of terrorism (Amendment) Bill, 2003 *

Title: Introduction of the Prevention of Terrorism (Amendment) Bill, 2003 and laid a statement regarding Prevention of Terrorism (Amendment) Ordinance, 2003 (No. 4 of 2003).

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी)ः श्री लाल कृण आडवाणी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Prevention of Terrorism Act, 2002."

The motion was adopted.

श्री चिन्मयानन्द स्वामीः मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हं।

12.03 hrs.

Statement Re: Prevention of Terrorism (Amendment)

Ordinance, 2003 - Laid.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी): श्री लाल कृण आडवाणी की ओर से, मैं आतंकवाद निवारण (संशोधन) आध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 4) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं *

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-2, dated 8.12.2003.